

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 08/2022-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2022

सा.का.नि. (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती हैं, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "12%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/172/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) , में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 716(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-11, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।